न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री मोहनलाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 112/2014

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. श्री सीमेन्ट लि0 (रास प्रोजेक्ट) जरिये श्री अमरीशकुमार शर्मा मैनेजर (लैण्ड एक्जीक्यूशन) पुत्र श्री प्रेमनारायण शर्मा जाति-ब्राह्मण उम्र 53 वर्ष निवासी हाल मैनेजर श्री सीमेन्ट लि0 रास, तहसील-जैतारण जिला-पाली।		1. डूंगा पुत्र राजु के कायम मुकाम :- 1/1 सुबानी पत्नि डूंगा 1/2 मंगला पुत्र डूंगा 1/3 हरजी पुत्र डूंगा 1/4 अणदा पुत्र डूंगा 1/5 दीना पुत्र डूंगा 1/6 रोशनी पुत्री डूंगा जातियान-मेहरात, निवासी-भीवगढ़ तह.-जैतारण, जिला-पाली 2. समा पुत्र अजमाल 3. भंवरू पुत्र अजमाल 4. बाबु पुत्र जमाल 5. नेना पुत्र जमाल 6. फुन्दी पत्नि जमाल 7. दीना पुत्र कालू 8. शंकर पुत्र कालू 9. अर्जुन पुत्र कालू 10. मेणा पत्नि रहमान 11. इन्द्रा पुत्री रहमान 12. संतोष पुत्री रहमान 13. साबु पुत्री रहमान 14. सुखी पुत्री रहमान 15. भगवती पुत्री रहमान 16. देवा पुत्र गुमान 17. साबु पुत्र गुमान 18. रेशमा पुत्री छोटु 19. शोकिन पुत्र छोटु 20. नुरी पत्नि छोटु जातियान-मेहरात, निवासी-भीवगढ़ तहसील-जैतारण, जिला-पाली 21. तहसीलदार, जैतारण तहसील-जैतारण, जिला-पाली

दावा बाबत् तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञ अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू:.26/05/2014**

उपस्थितः. 1. श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री राजेन्द्र कुमार गुर्जर, अधिवक्तागण, प्रतिवादीगण।

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 18/02/2019**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् सकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत किया हैं कि श्री सीमेन्ट लि0 ब्यावर का एक सीमेन्ट प्लान्ट बांगड़ सीमेन्ट के नाम से सरहद मौजा–रास, तहसील–जैतारण में स्थापित हैं। कार्यरति हैं व उत्पादनरत हैं। उक्त श्री सीमेन्ट लि0 रास प्रोजेक्ट एक कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत् एक लि0 कम्पनी के रूप में पंजीबद्ध हैं। इस कम्पनी के सभी प्रकार के कार्मिक व प्रशासनिक कार्यो के लिए बतौर मैनेजर (लैण्ड एक्जीक्यूशन) श्री अमरीशकुमार नियुक्त व कार्यरति हैं। कम्पनी के द्वारा कृषि भूमि के लिए बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का यह वाद श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत हैं व वाद पेश करने के कम्पनी का अधिकार पत्र वाद के साथ पेश हैं। जिसे वाद पत्र का एक भाग माना जावें। सरहद मौजा – भीवगढ़, पटवार हल्का–रास द्वितीय तहसील–जैतारण जिला–पाली में वाके आराजी खसरा नम्बर 2163 रकबा 19–19 बीघा किस्म चाही दोयम भूमि वाके हैं। उक्त खसरे की भूमि में वादी कम्नी 51/80 यानि 12 बीघा 14 बिस्वा 07 बिस्वांसी भूमि पर रिकॉर्डेड काबिज होकर खातेदार काश्तकार हैं व प्रतिवादी संख्या 01 से 20 उक्त भूमि के रिकॉर्डेड सह खातेदार काश्तकार हैं। वादी कम्पनी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मौके पर भूमि अलग–अलग बंटी हुई हैं। हिस्सानुसार सभी का कब्जा काश्त हैं व वादी खसरा नम्बर 2163 रकबा 19–19 बीघा भूमि में 51/80वां हिस्से की भूमि यानि (यानि 12 बीघा 14 बिस्वा 07 बिस्वांसी) भूमि मौके पर बंटी हुई हैं व वादी का अपने हिस्से पर रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार के काबिज हैं। मगर वादी व प्रतिवादीगण की सम्पूर्ण भूमि एक खाते के रूप में शामलाती दर्ज हैं व नक्शा ट्रेश में भी सम्पूर्ण भूमि एक जोत दर्शाई गई हैं। मौके के कब्जे व काश्त अनुसार अलग–अलग तरमीम की हुई हैं तथा विवादित आराजी को वाद में आगे वादग्रस्त भूमि के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा कि सम्वत् 2068 से 2071 की जमाबन्दी खतौनी व नक्शा ट्रेश की प्रमाणित प्रति वाद के साथ पेश हैं, जिसे वाद का एक भाग माना जावें। वादी कम्पनी की वादग्रस्त कृषि भूमि वादी उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि 51/80 हिस्से की भूमि यानि 12 बीघा 14 बिस्वा 07 बिस्वांसी भूमि मौके पर बंटी हुई हैं। वादी का अलग से कब्जा व काश्त हैं व वादी ने प्रतिवादीगण को मौके के कब्जे व काश्त व हिस्से व खातेदारी अनुसार भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के तकास्मा करवाकर खाते अलग दर्ज करवाने व हिस्से अनुसार नक्शा ट्रेश में तरमीम रखने का तकास्मा करवाने का कहा, मगर प्रतिवादीगण की नियत सही नहीं होने से उन्होंने बंटवाड़ा करवाने से दिनांक 20/04/2014 को मना कर दिया, जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई कानूनी हक अधिकार नहीं हैं। वादी कम्पनी अपनी भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के तकास्मा करवाने का अधिकारी हैं। इसलिए दावा बाबत् तकास्मा आराजी खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश किया हैं। बाद तकास्मा आराजी वादी कम्पनी अपनी खातेदारी कब्जे काश्त व हिस्से की वादग्रस्त भूमि का उपयोग / उपभोग बतौर खातेदार काश्तकार के करने का अधिकारी हैं व प्रतिवादीगण को वादी के हक हिस्से व कब्जे काश्त खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी बाधा पैदा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं हैं। यदि प्रतिवादी द्वारा ऐसा किया गया, तो वादी को असीम हानि होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नहीं हैं। वादी को अपूरणीय क्षति होगी। प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा किया गया, तो वादी को बार–बार दिवानी व फौजदारी मुकदमें करने पड़ेगे, जिससे मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी।

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

इसलिए वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी हैं। इसलिए दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश किया हैं। प्रतिवादी संख्या 21 तहसीलदार जैतारण वादग्रस्त भूमि में लैण्ड होल्डर हैं, जो राज्य सरकार के प्रतिनिधि हैं व तकासमा आराजी में वाद में आवश्यक पक्षकार होने के कारण उन्हें इस वाद में पक्षकार बनाया गया हैं। उनके विरूद्ध कोई रिलीफ नहीं चाही गई हैं। प्रतिवादीगण को वादी कम्पनी व्यक्तिगत रूप से नहीं जानती हैं। इसलिए प्रतिवादीगण के नाबालिग या फौत होने की दिशा में वादी कम्पनी के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए वाद की कार्यवाही में प्रार्थना पत्र के जरिये संशोधन करने का अधिकार रहेगा। बिनायवाद दिनांक 20/04/2014 को वादी द्वारा प्रतिवादीगण को वादी के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् का कहने व प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा करने से मना करने व वादी को उनके हिस्से की भूमि से बेदखल करने की एलानिया धमकी देने पर बमुकाम–भीवगढ़(रास) में पैदा हुआ, जो अन्दर म्याद हक अख्त्यार समायत अदालत बाला के हैं।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र गुर्जर ने वकालतनामा पेश किया, जिसे सा0मि0 किया गया। दीगर प्रतिवादीगण बावजूद तामिली / सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वकील प्रतिवादीगण को अनेकानेक अवसर दिये जाने के बावजूद जबाबदावा पेश नहीं करने से जबाबदावा बन्द किया गया हैं। वकील वादी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 06 नियम 17 सहपठित धारा 151 सीपीसी का पेश किये, बाद स्वीकार सा0मि0 किये गये। वकील वादी ने वाद के समर्थन में वादी का साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया, सा. मि. किया गया। बहस वकील वादी की सुनी गई। बहस में वकील वादी ने जाहिर किया कि माफिक राजस्व रेकर्ड वादी का प्राथमिक डिक्री फरमावें।

पत्रावली मय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। चूंकि प्रति. के विरूद्ध एक एकपक्षीय कार्यवाही हों चुकी हैं। प्रस्तुत वाद–पत्र मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात एवं साक्ष्य के शपथ पत्र का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस वकील पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादी बरूबे राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज हैं, अपनी आराजी का तकासमा चाहते हैं। लिहाजा माफिक राजस्व रेकर्ड वादी का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाना उचित समझते हुए माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि कि सरहद मौजा – भीवगढ़, पटवार हल्का–रास द्वितीय तहसील–जैतारण जिला–पाली में वाके आराजी खसरा नम्बर 2163 रकबा 19–19 बीघा किस्म चाही दोयम भूमि का जो राजस्व रेकर्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती व कब्जे काश्त की हैं, बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाँउण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग–अलग दर्शाकर पत्थरगढ़ी /नेखमबन्दी करवाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2019/131 दिनांक 06/02/2019 द्वारा आदेशित किया गया।

तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/2019/1115 दिनांक 18/02/2019 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

पत्रावली मय दस्तावेजात एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा का गहनता से अवलोकन किया गया। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

नजरी नक्शा फर्द पर वादी एवं प्रतिवादीगण के हस्ताक्षर हैं। वकुलाय को सुना गया। वकुलाय ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

–::आदेश::–

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा – भीवगढ़, पटवार हल्का–रास द्वितीय तहसील–जैतारण जिला–पाली में वाके आराजी खसरा नम्बर 2163 रकबा 19–19 बीघा किस्म चाही दोयम की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1	मैसर्स श्रीसीमेंट लिमिटेड (रास प्रोजेक्ट) जरिये अमरीश कुमार शर्मा मैनेजर श्रीसीमेंट लि. रास खातेदार	2163/1	11-09-00	बा.दो.	2.86
2	मंगलाराम हरजीराम अणदाराम दीनाराम पिता डूंगा सुबानी पत्नी डूंगा समा पुत्र अजमाल भंवरू बालु नैना पिता जमाल फुन्दी पत्नी जमाल दीना शंकर अर्जुन पिता कालु देवा साबु पिता गुमान मेणा पत्नी रहमान इन्द्रा संतोष साबु सुखी भगवती पुत्रियां रहमान रेशमा शौकिन पिता छोटु नूरी पत्नी छोटु कौम मेहरात सा.देह खातेदार	2163	8-10-00	बा.दो.	2.13

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा मय बंटवाड़ा रिपोर्ट की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 18/02/2019 को सुनाया गया।

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला–पाली (राज0)